<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय</u>

<u>नैनीताल</u>

माननीय श्री न्यायाधीश राकेश थपलियाल

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2023 का 1736</u> <u>सन 2023</u>

<u>14</u> <u>दिसंबर, 2023</u>

रिया जोशी ..... याचिकाकर्ता

बनाम

यू. के. स्कूल शिक्षा बोर्ड और अन्य ..... प्रतिवादी।

याचिकाकर्ता के ओर से वकील : श्री संजय भट्ट, विद्वान अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1 के लिए वकील : श्री विरेन्द्र सिंह रावत, विद्वान अधिवक्ता।

न्यायालय ने यह निर्णय दिया :

<u>निर्णय :</u> (माननीय श्री राकेश थपलियाल के अनुसार)

तत्काल रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कर रही है: -

> *".i. प्रतिवादी को परमादेश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट या निर्देश जारी करें, ताकि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया जा सके जिसमें प्रतिवादी बोर्ड द्वारा 31-07-2021 पर जारी हाई स्कूल प्रमाण पत्र-सह-अंकपत्र में सुधार की मांग की गई हो और इसके परिणामस्वरूप, उसकी माँ और पिता के नामों को उनके सही नामों, यानी **बसंती** और **मोहन** के साथ बदलने के पश्चात नई प्रमाण पत्र-सह-अंकपत्र जारी करें।"*

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता चंपावत जिले के गांव सिरना की स्थायी निवासी है। वर्तमान में, याचिकाकर्ता अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अपने माता-पिता के साथ हरिद्वार जिले के कनखल के जगजीतपुर में रह रही है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड है, और इन सभी दस्तावेजों में याचिकाकर्ता का नाम रिया जोशी है; उसकी माँ का नाम बसंती है, और; उसके पिता का नाम मोहन चंद्र है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जब याचिकाकर्ता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तो उसने बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन

किया, और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, रामनगर से 10वीं कक्षा की परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र जमा किया, और उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, और परिणामस्वरूप, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। इसके बाद, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट-कम-मार्कशीट 31.07.2021 को जारी की गई, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम रिया जोशी के रूप में उल्लिखित है; उसकी माँ का नाम बसंती जोशी के रूप में उल्लिखित है, और; उसके पिता का नाम मनोज चंद्र जोशी के रूप में उल्लिखित है, जबकि सार्वजनिक दस्तावेजों , अर्थात आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड में , याचिकाकर्ता की मां का नाम बसंती के रूप में दिखाया गया है, और इसी तरह, उसके पिता का नाम मोहन चंद्र के रूप में दिखाया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मार्कशीट में गलती केवल अनजाने में हुई थी जब याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन पत्र भरा गया था, और उस समय, वह नाबालिग थी, और प्रमाण पत्र-सह-मार्कशीट में ऐसी गलती के कारण, उसके माता-पिता का गलत नाम अंकित है।

5. इसके पश्चात गलती का एहसास होने के पश्चात याचिकाकर्ता के माता-पिता ने याचिकाकर्ता की 10वीं कक्षा की परीक्षा के प्रमाण पत्र-सह-अंक-पत्रक में आवश्यक सुधार करने के अनुरोध के साथ संस्थान के अधिकारियों से संपर्क किया, और उनके अनुरोध पर, संस्थान ने मामले को आवश्यक सुधार के लिए 18.12.2021 दिनांकित पत्र के माध्यम से बोर्ड को भेज दिया। याचिकाकर्ता ने ई-चालान के माध्यम द्वारा आवश्यक शुल्क भी जमा किया और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। हालाँकि, बोर्ड ने अनुरोध स्वीकार नहीं किया, और अब याचिकाकर्ता को सूचित किया गया है कि, चूँकि यह गलती उम्मीदवार की थी, न कि बोर्ड की, इसलिए, जैसा कि मांगा गया था, सुधार की अनुमति नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अब याचिकाकर्ता ने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, और प्रतिवादी-बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करके अंक-पत्रक की डिजिटल प्रति जारी की, और आधिकारिक वेबसाइट से अंक-पत्र डाउनलोड करने के पश्चात फिर से याचिकाकर्ता को पता चला कि उसके माता-पिता का नाम वही है, जैसा कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र-सह-अंक-पत्र में था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि गलती याचिकाकर्ता की ओर से हुई है, लेकिन चूंकि बोर्ड ने अन्य छात्रों के संबंध में आवश्यक सुधार किया है, इसलिए बोर्ड के अधिकारियों को तत्काल

रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता के माता-पिता के नाम को सही करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जा सकता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जब भी याचिकाकर्ता ने बोर्ड के अधिकारियों से संपर्क किया, हर बार उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को न्यायालय से कुछ उचित निर्देश मिल सकते हैं, और उसके बाद ही सुधार संभव है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि समान स्थिति में, इस न्यायालय ने रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2038 सन 2023 में पारित 21.11.2023 के फैसले के माध्यम से निर्देश जारी किए। उन्होंने उक्त निर्णय की एक प्रति इस न्यायालय के समक्ष रखी।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी नंबर 1 के विद्वान वकील श्री वीरेंद्र सिंह रावत का कहना है कि यह मुद्दा, जैसा कि तत्काल रिट याचिका में उठाया गया है, रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा (एम/एस) संख्या 2038 सन 2023 में दिए गए दिनांक 21.11.2023 के फैसले से कवर होता है , जिसमें याचिकाकर्ता को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी, और साथ ही, अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर फिर से विचार करने और अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था, और यदि अनुमति हो तो आवश्यक सुधार करें।

11. मैंने रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2038 सन 2023 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 21.11.2023 के फैसले का अवलोकन किया है और इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान रिट याचिका में भी इसी तरह का निर्देश जारी किया जा सकता है।

12. इसे देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और प्रतिवादी नंबर 1 को अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2038 सन 2023 में पारित निर्णय दिनांक 21.11.2023 की एक प्रति के साथ संलग्न करके एक नया प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता के साथ किया जा रहा है, और यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन दिया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त अभ्यावेदन पर विचार कर सकता है, और अभ्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर मौखिक और तर्कसंगत आदेश पारित करके उस पर निर्णय ले सकता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(राकेश थपलियाल, जे.)

दिनांक: 14 दिसंबर, 2023
निशांत